

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

66

क्रमांक: एफ13/1/39/वीएस/डीईएस/2013/43996

दिनांक: 12-1-2016

परिपत्र

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 भारत में स्थानीय रजिस्ट्रार को उसके कार्य क्षेत्र में घटित होने वाली सभी जन्म-मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण का अधिकार देता है। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत ग्राम सेवक पदेन सचिव को रजिस्ट्रार की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक 06.06.2013 के द्वारा राज्य के समस्त जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय सृजित कर ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। चूंकि जन्म-मृत्यु पंजीकरण जनहित का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अतः जनसुविधा एवं कार्य के त्वरित निष्पादन को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय में कार्यरत ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को ब्लॉक में रजिस्ट्रीकरण कार्य के समन्वय, एकीकरण और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी घोषित किया जाता है।

जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य को आमजन के लिये अधिक सुगम बनाने, कार्य में समरूपता लाने तथा कम्प्यूटरीकृत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन्म-मृत्यु की घटनाओं का ऑनलाईन पंजीयन विभागीय वेबपोर्टल 'पहचान' पर किया जा रहा है। इसी क्रम में जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य ऑनलाईन होने तथा प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध होने की स्थिति में आमजन की और से जन्म-मृत्यु पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने तथा पंजीकरण पश्चात जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने कार्य ई-मित्र सेवा केन्द्रों के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में किया जा रहा है। उक्त सेवा के माध्यम से e-sign/ डिजिटली हस्ताक्षरित जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वेबपोर्टल 'पहचान' अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के तहत ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी उसके क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के पासवर्ड रिसेट (Password Resat) करने, 'पहचान' वेबपोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्टर्ड कराने के उपरान्त इसका अनुमोदन एवं पंजीकृत घटनाओं में मार्गदर्शन के लिए अधिकृत किया जाता है।

अतः राज्य के समस्त ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं नियम 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन का कार्य सम्पादित करते हुए इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें।

(ओम प्रकाश बैरवा)

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव